कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1705/12–1 दिनांक, मसूरी 31 –10–2019।

सेवा में,

State Co-Ordinating,
Reliance Jeo, Infocomm Limited
प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी0एम0एस0रोड़, निरजंनपुर
देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून एंव जनपद–टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड, मसूरी. एंव जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0 507 यमुनापुल–खरसौन क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54 (10.00किमी0), यमुनापुल–मसूरी बैण्ड़ जीरो प्वांईट (21.00किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20किमी0) एंव एस0एच0 08 मसूरी–चम्बा मार्ग के मसूरी–धनोल्टी (34.00किमी0) कुल लम्बाई 76.20 किमी0 सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत् ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.552है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Reliance Jeo, Infocomm Limited** को 30 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– आपका पंत्राक /ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/OFC/36800/2018 दिनांक 20–09–2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 26–09–2019 को आर्नेलाईन एंव हार्ड प्रति के साथ प्राप्त हुआ। ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जॉच / परीक्षण उपरान्त निम्न कमियों पायी गयी। परीक्षोपरान्त प्रस्ताव में संलग्नकों /प्रमाण–पत्रों पर प्रभाग स्तर से हस्ताक्षर कर दिये गये है। ऑनलाईन प्रस्ताव एंव प्रस्ताव की हार्ड प्रति में कतिपय निम्न कमियों के निराकरण हेतु इस आशय से लौटाया जा रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से ऑनलाईन प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेख /सूचनाऐं ऑनलाईन भाग–I में अपलोड करते हुए प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा /अंकित करने का कष्ट करें :–

1– ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के प्रपत्र–2 फार्म–क में दिनांक, स्थान एंव प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी का नाम यथास्थान अंकित किया जाय।

2– ऑनलाईन प्रस्ताव के पैरा 2.3 Village wise breakup में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.137है0 तथा Non forest land का क्षेत्रफल 0.167है0 अपलोड है जबकि प्रसतावित परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.552है0 तथा Non forest land का क्षेत्रफल 0.21है0 दर्ज/अंकित है। कृपया उक्त अन्तर को स्पष्ट करते हुए आनलाईन एंव प्रस्ताव की हार्ड प्रति में वांछित भूमियों के क्षेत्रफल में एकरूपता रखी जाय।

3– प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयांकित कार्य हेतु वन भूमि की मांग की पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव में चस्पा /संलग्न नहीं है, कृपया संगत दस्तावेज / अभिलेख प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा /संलग्न किया जाय।

4– ऑनलाईन प्रस्ताव के पैरा C (iii) एंव (iv) में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि की स्पष्ट व साफ डिजीटल मानचित्र 1:50000 पैमाने की Topo Sheet तथा Geo refrence map को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति तथा आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I में यथास्थान स्थान अपलोड /चस्पा किया जाय।

5– ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा D(i) में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Justification यथास्थान अपलोड की किया जाय।

6–(क) प्रस्ताव में चस्पा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वन अधिकार अधिनियम 2005 के ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र में ग्राम पंचाायत–धनोल्टी, सिया कैम्पटी, खरसोन, भटोली एंव टटोर में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित एक ही क्षेत्रफल (आरक्षित वन– 0.19है0, सिविल सोयम भूमि–0.11है0 तथा नाप भूमि–0.05है0कुल 0.350है0) अंकित की गयी है, जबकि अलग–अलग ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वांछित भूमि का विवरण प्रस्ताव में चस्पा संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट के अनुरूप होना चाहिए। कृपया प्रस्ताव में चस्पा संलग्नकों में अंकित क्षेत्रफल के अन्तर को स्पष्ट करते हुए संगत दस्तावेज /संशोधित ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को प्रस्ताव की हार्ड प्रति एंव आनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा K(a) मेंयथास्थान चस्पा / अपलोड किया जाय।

(ख) ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–I के पैरा K(a) में अपलोड जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र में जिलास्तरीय बैठक का दिनांक अंकित किया जाय।

6– प्रस्ताव में चस्पा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य के समुहर हस्ताक्षर कराये जांय।

7– प्रस्ताव में चस्पा छाया प्रतियां को सक्षम स्तर से सत्यापित कर प्रस्ताव में चस्पा की जाय।

8– प्रस्ताव में चस्पा प्रपत्र– 14, प्रपत्र–17, डिजीटल मानचित्र 1:50000 पैमाने की Topo Sheet (स्वच्छ एंव साफ), प्रारूप–27, प्रारूप–37, प्रारूप–41 राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी /जिलाधिकारी के समुहर हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में यथास्थान अपलोड की किया जाय।

<u>संलग्न – प्रस्ताव की तीन (3) स्कैन हार्ड प्रति ।</u>

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1705/दिनांकित।

प्रतिलिपि-- निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।